10.5.19 पत्रावली वकील प्रार्थी के प्रा.पत्र पर लेख लेकर पेश हुई। वकील प्रार्थी ने मूलपाठ के प्रा.पत्र पेश कर निवेदन किया कि यादी स्वयम्भू प्रतिवादीगण के समक्ष कार्यवाही लम्बित है तथा नामूद की गई है अतः मूल प्रा.पत्र को आगे चलाने नहीं चाहते हैं, अतः जांच विहीन प्रा.पत्र खारिज फरमाया जावे।

अतः वकील प्रार्थी की इस्तदुआ पर प्रा.पत्र जांच विहीन खारिज किया जाता है मिसल पेश हो। इस आदेश के विरुद्ध अपील अवधि आदेश दिनांक 28/7/2019 को निरस्त किया जाता है।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलेक्टर,
बाप (जिला जोधपुर) राज.

Scanned by CamScanner